राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 65/2015

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – दुर्गावास

श्री कल्याण काठात उर्फ कचरू वयस्क पुत्र स्व0 श्री पीरू जाति मेहरात निवासी ग्राम सोवनिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

––––––––वादी

ब ना म

1– श्रीमति कमला वयस्क पत्नि स्व0 श्री हजारी पुत्र श्री पीरू
2– श्री सांवरा वयस्क पुत्र स्व0 श्री हजारी पुत्र श्री पीरू
3– श्रीमति शकीना वयस्क पुत्री स्व0 श्री पीरू
4– श्रीमति हलीमी वयस्क पुत्री स्व0 श्री पीरू
5– श्रीमति रोशनी वयस्क पुत्री स्व0 श्री पीरू
समस्त जाति मेहरात निवासीयान ग्राम सोवनिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
6– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय ब्यावर
7– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय तहसील कार्यालय, ब्यावर
8– राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर

–––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 24.5.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट दुर्गावास में प्रस्तुत हुआ। वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है कि ग्राम रामावास पटवार क्षैत्र दुर्गावास तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 949 रकबा 05–01–00 किस्म बा.1 एंव मौजा ग्राम सोवनिया पटवार क्षैत्र मालीपुरा तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 441 रकबा 00–02–00 किस्म आबी.1, 442 रकबा 00–05–10 किस्म आबी.1 उक्त सम्पूर्ण विवादित आराजी में वादी के पीरू का 2/3 हिस्सा था। पीरू जी की वंशावली वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित है, इसी प्रकार पीरू तथा उनकी पत्नि तथा पुत्र हजारी एंव रामा के स्वर्गवास के बाद विवादित भूमि में वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 उनके 2/3 हिस्से के खातेदार हो गये। उक्त आराजियात पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। तथा आज दिवस तक कोई बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हुआ है। उक्त वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम सहवन से कल्याण उर्फ कचरू के स्थान पर कचरिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उक्त आराजी में वादी का सही नाम कल्याण उर्फ कचरू अंकित करवाया जाना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त उक्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 का नाम भी अंकित किया जावे। इसी प्रकार वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित आराजी में पीरू जी के स्वर्गवास के बाद उनका विरासती दाखिल खारीज केवलमात्र उनके दो पुत्रो श्री हजारी व रामा के नाम ही दर्ज किया इसलिये उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 भी पीरू जी के जायन्दा संतान होने से उनका भी नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाया जाना आवश्यक है। वादी ने समय समय पर उक्त विवादित भूमियो में काफी समय श्रम एंव धन व्यय कर उक्त आराजियात में उच्च किस्म के खाद बीच डालकर उन्हें समतल कराकर काश्त योग्य बनाया गया। राजस्व रेकार्ड मे उक्त गलत अंकन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत खराब हो गई और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 03.05.2015 को वादग्रस्त आराजी पर आये और वादी को जबरन बेदखल करने की कोशिश करने लगे इस पर वादी के भारी विरोध के कारण से वे इसमें सफल नही हो सके तथा वादी को धमकी दी कि उक्त विवादित भूमियो को शीघ्र ही अन्य व्यक्तियो को बेचान कर मौका देखकर वादी का बेदखल कर देंगे इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री पारीत किया जाकर

..............लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजीयात को बेचान हस्तांतरण आदि नही करे तथा वादी को विवादित भूमियो से बेदखल नही करे तथा उसके कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा प्रस्तुत नही करने के कारण उनके जवाबदावे का हक बंद किया गया।

चूंकि पत्रावली कैंप कोर्ट में प्रस्तुत हुई जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत किया और कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार ग्राम रामावास की प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2024 से 2027 के खाता संख्या 21 में साबिक खसरा नंबर 717 रकबा 05–01–00 कला, पेमा पिसरान देवा बहिस्सा बराबर 1 हि. अहमा पुत्र माला 1–$^1/_3$ हि. व पीरू पुत्र माला $^2/_3$ हिस्से के खातेदार दर्ज होना पाया गया। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 717 के हाल खसरा नंबर 949 दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार ग्राम सोवनिया की जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 53 के अनुसार हाल खसरा नंबर 441 व 442 में पप्पू नाबा. हजारी बसरबराही, माता कमला बैवा हजारी व कमला बैवा हजारी, कचरिया पुत्र पीरू कौम मेरात दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत जालिया प्रथम के सरपंच द्वारा वारीसान प्रमाण पत्र दिनांक 16.02.2015 को जारी किया गया जाना पाया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई विरोध स्वरूप प्रतिवाद नही किया गया है, ओर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भी राजीनामा प्रपत्र में वादी के वाद को स्वीकार करने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्ध डिक्री किया जाकर **ग्राम रामावास पटवार क्षैत्र दुर्गावास** तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 949 रकबा 05–01–00 किस्म बा.1 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को हजारी रामा पि. पीरू के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। उक्तानुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती करें। इसी प्रकार **ग्राम सोवनिया पटवार क्षैत्र मालीपुरा** तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 441 रकबा 00–02–00 किस्म आबी.1, 442 रकबा 00–05–10 किस्म आबी.1 में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा नंबर 441 व 442 में जो कचरिया अंकित है, उसे दुरूस्त कर कल्याण उर्फ कचरू अंकित किया जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 कमला व प्रतिवादी संख्या 2 पप्पू उर्फ सांवरा के नाम जमाबंदी से विलोपित कर यथानुसार वादी कल्याण उर्फ कचरू के साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा वादी को वादग्रस्त भूमियो से बेदखल नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2018 को मेरे द्वारा कोर्ट कैंप दुर्गावास में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –दुर्गावास

राजस्व वाद संख्या 65/2015

श्री कल्याण काठात उर्फ कचरू वयस्क पुत्र स्व0 श्री पीरू जाति मेहरात निवासी ग्राम सोवनिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

———————वादी

ब ना म

1– श्रीमति कमला वयस्क पत्नि स्व0 श्री हजारी पुत्र श्री पीरू
2– श्री सांवरा वयस्क पुत्र स्व0 श्री हजारी पुत्र श्री पीरू
3– श्रीमति शकीना वयस्क पुत्री स्व0 श्री पीरू
4– श्रीमति हलीमी वयस्क पुत्री स्व0 श्री पीरू
5– श्रीमति रोशनी वयस्क पुत्री स्व0 श्री पीरू
समस्त जाति मेहरात निवासीयान ग्राम सोवनिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
6– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय ब्यावर
7– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय तहसील कार्यालय, ब्यावर
8– राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर

—————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादी – श्री ओमप्रकाश बारोलिया व श्री ऋषिराजसिंह चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 व 2 – श्री रामस्वरूप
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.3से5 – एकतरफा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.6से8 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– **65/2015**
निर्णय/डिक्री दिनांक :– **24.05.2018**

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट दुर्गावास में पेश हुआ। वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.05.2018 को सुखराम खोखर (आर. ए. एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट दुर्गावास में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्ध डिक्री किया जाकर **ग्राम रामावास पटवार क्षैत्र दुर्गावास** तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 949 रकबा 05–01–00 किस्म बा.1 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को हजारी रामा पि. पीरू के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। उक्तानुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती करें। इसी प्रकार **ग्राम सोवनिया पटवार क्षैत्र मालीपुरा** तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 441 रकबा 00–02–00 किस्म आबी.1, 442 रकबा 00–05–10 किस्म आबी.1 में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा नंबर 441 व 442 में जो कचरिया अंकित है, उसे दुरूस्त कर कल्याण उर्फ कचरू अंकित किया जाने के आदेश तहसीलदार

..................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई

श्री कल्याण उर्फ कचरू बनाम श्रीमती कमला व अन्य

राजस्व वाद संख्या 65/2015

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – दुर्गावास

ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 कमला व प्रतिवादी संख्या 2 पप्पू उर्फ सांवरा के नाम जमाबंदी से विलोपित कर यथानुसार वादी कल्याण उर्फ कचरू के साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा वादी को वादग्रस्त भूमियो से बेदखल नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आज तारीख 24.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		**जोड़**	

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर